भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3137
09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक नर्सिंग पाठ्यक्रम

3137. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एलोपैथी नर्सिंग कार्यक्रम के अतिरिक्त आयुर्वेदिक नर्सिंग डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त पाठ्यक्रम के संबंध में दिशानिर्देश, इसकी अवधि और पाठ्यचर्या क्या है:

(ग) क्या वर्तमान में कार्यरत एलोपैथी नर्सें उक्त आयुर्वेदिक नर्सिंग डिग्री के लिए नामांकन हेतु पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय उपचर्या परिषद (आईएनसी) ने भारतीय उपचर्या परिषद (आयुर्वेद नर्सिंग-रेजीडेंसी कार्यक्रम में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा) विनियम, 2022 संबंधी दिनांक 22.02.2023 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा आईएनसी अधिनियम, 1947 के तहत, एलोपैथी नर्सिंग कार्यक्रम के अतिरिक्त-कार्यक्रम के रूप में, आयुर्वेद नर्सिंग-रेजीडेंसी कार्यक्रम में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा को अधिसूचित किया है। इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है और इसके पाठ्यक्रम की संकल्पना विशिष्ट नर्सिंग अभ्यास के लिए प्रमुख विशिष्ट पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए की गई है। इसके दिशा-निर्देशों, अवधि और पाठ्यक्रम आदि का विवरण *https://www.indiannursingcouncil.org/uploads/pdf/16774822911875861111663fc593397603.pdf* पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): कोई भी पंजीकृत नर्स (जीएनएम/बीएससी (एन)) और पंजीकृत मिडवाइफ आयुर्वेद नर्सिंग-रेजीडेंसी कार्यक्रम में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है। इस डिप्लोमा को संबंधित परीक्षा बोर्ड/एसएनआरसी (राज्य नर्सिंग तथा मिडवाइव्स पंजीकरण परिषद)/परिषद द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

*****